न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 89 / 2022 (उदयपुर डिक्री)

1. केसरसिंह पिता गोवर्धनसिंह जी राजपूत, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. निर्भयसिंह पिता गोवर्धनसिंह जी राजपूत, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. रतनसिंह पिता गोवर्धनसिंह जी राजपूत, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. लिलेन्द्रसिंह पिता गोवर्धनसिंह जी राजपूत, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. सुश्री संतोष कुंवर पुत्री गोवर्धनसिंह जी राजपूत, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. गोवर्धनसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. भीमसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी भीमल, हाल रामदेव जी का पाडा, खोखरापला, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. किशनसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी भीमल, हाल रामदेव जी का पाडा, खोखरापला, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. अभयसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी भीमल, हाल रामदेव जी का पाडा, खोखरापला, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती लच्छु कुंवर पत्नी भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी भीमल, हाल रामदेव जी का पाडा, खोखरापला, देबारी, तहसील गिर्वा (फोत)
6. टीकमचन्द पिता शंकरलाल जी माथुर, निवासी शंकर निवास, अम्बामाता, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. पटवारी, पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अ[illegible]मावली दि0 14.11.2022 प्रकरण सं [illegible] 210/2013

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:17 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– 1– श्री अजयसिंह हाडा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 04–07–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीमल में आराजी नंबर 1196, 1197, 1198 कुल किता 3 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 6 के नाम अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का सजरा वाद पत्र की संख्या 2 अनुसार होकर मूलपुरूष माधूसिंह थे, जिनके 2 पुत्र भंवरसिंह व लक्ष्मणसिंह हुए। विवादित आराजियात वादीगण की पैत्रृक सम्पत्ति होकर उनका जन्म से हक व अधिकार है। वादीगण के मौरूस माधूसिंह के निधन के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के उक्त सम्पूर्ण भूमि में अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 को विक्रय कर दिया, जो वादीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है। प्रतिवादी संख्या 1 जो हम वादीगण के पिता हैं ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय बिना किसी विधिक अधिकार के किया है। अतः विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्से में दर्ज भूमि में हम वादी को संयुक्त रूप से खातेदार घोषित की जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 6 का 22 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा उनके द्वारा विधिवत भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी है, जिसका नामान्तरकरण स्वीकृत होकर वह रेकार्डेड खातेदार है। विक्रय विलेख को शून्य एवं निष्प्रभावी तथा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14–11–2022 से उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षी की बहस सुन प्रतिवादी संख्या 6 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:17 IST
Reason: SelfAttested

खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–12–2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 9 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय मनमाफिक ढंग से अपीलान्टगण का वाद निरस्त करने की गरज से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का निर्धारण करने के लिए बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये वाद खारिज कर दिया, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को मेरिट पर निर्णय पारित करना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा अपीलान्टगण के परोक्ष में जाकर विक्रय पत्र गलत ढंग से पंजीकृत करवाया है, जो अपीलान्ट/वादीगण के मुकाबले शून्य प्रभावी है, जिसे किसी भी सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। यह स्वीकृति स्थिति है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 द्वारा वर्ष 1991 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की गयी है तथा जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 में विवादित आराजियात प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 के खातेदारी में दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों का स्पष्ट अवलोकन करते हुए प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विधि सम्मत मानते हुए अपीलान्ट/वादीगण का विवादित आराजियात में किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:17 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी नहीं माना है एवं उक्त आधार पर वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ मानते हुए प्रतिवादी संख्या 6 का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 14–11–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:17 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

केसरसिंह पिता गोवर्धनसिंह जी राजपूत निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	**गोवर्धनसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत निवासी भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**89 / 2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....14**.....माह.....**11**.....**2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**04**....माह.....**07**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अजयसिंह हाडा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 14–11–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**04**.....माह.....**07**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:17 IST
Reason: SelfAttested